

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

प्रयागराज।

पत्र संख्या:-सीएफओ/एफएस/कालेज/2020 ||

दिनांक:-जनवरी 9,2020

सेवा में,

प्रो/प्रबन्धक,

शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ

झलवा प्रयागराज।

विषय— शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ झलवा प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का

फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:- आवेदक के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में भवन में स्थापित फायर प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटक्षन सिस्टम की स्थापना/कियाशीलता का निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

1—भवन तक अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ जा सकते हैं।

2—फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस० मानक 2190 के अनुसार उपलब्ध पाये गये। जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

3—भवन के प्रत्येक तल एन०बी०सी०—२०१६ मानक के अनुसार होजरील लैण्डिंग वाल्व स्थापित एवं कार्यशील दशा में हैं।

4 भवन में लगे समस्त अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये।

5—फायर स्टेशन का मोबाइल अंकित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण—पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1— प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।

2— किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

3— भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित है।

4—प्रत्येक छ: माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाना अपेक्षित है।

5— वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का नवीनीकरण प्रमाण—पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6— भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

7— अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(रवीन्द्र शक्ति मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।



कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 6, भाग - 2

प्रपत्र संख्या - 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

1. उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा
जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या
संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है
उसका नाम
2. पता

3. पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस
विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
5. चालान की सकल राशि
6. चालान की निब्बल राशि
7. लेखा-शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखाशीर्षक छी
मुहर :
8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक
0070	60	109

धनराशि (शब्दों में)

पंच सौ पाँच रुपये मात्र योग

चालान में लेखा-शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

उप-शीर्षक

ब्यारेवार-शीर्षक

धनराशि (अंकों में)

150/-

150/-



जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ


चालान संख्या :

अंकों में ₹०

शब्दों में ₹०

दिनांक :

प्राप्त ठिया



प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार /
बैंक की मुहर सहित

\$ 100.05/-

संख्या 303450 हस्ताक्षर /
प्राप्तकर्ता का नाम /

(२)

दिवरण

: रोकड़ (विवरण सहित)

नोट / सिक्के

(धनराशि रूपयों में)

2000 X

500 X

200 X

100 X

50 X

20 X

10 X


5 X

2 X

1 X

बोक (पूर्ण दिवरण के साथ)

योग :-



टिप्पणी :-

1. इन शिखागांमें अधिक संख्या में आलानों द्वारा धनराशि जमा होती है (मौसे छापार - छर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा, आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड - 4 अथवा लोक लेखा खण्ड - 2 के अनुसार लेखा शीर्षक नुस्खित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड - 2 (लोक लेखा) या खण्ड - 4 (राजस्व एवं पंजी लेखा की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के सर्वों के अनुस्वर विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. इन जमा धनराशियों के लिये नियापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रभारित लेखा-शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु नदाशत किया गया है, तो ऐसी दृश्य में आलान पर्याप्त के लेखा-शीर्षक को सत्यापित छर आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उद्दार रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।